मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

D Block, Swasthya Bhawan, Tilak marg, C-scheme JAIPUR

Ph: 0141-2228066, Fax: 0141-2228065, email: rmsc@nic.in www.rmsc.nic.in

S. No: F. 1( )/RMSC/PA/2014 / 8845 Dated: 09.12.2014

प्राचार्य एवं नियंत्रक, अस्पताल अधीक्षक।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
प्रमुख चिकित्साधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त, राजस्थान।

विषय :– **स्थानीय क्रय हेतु Short Supply दवाईयों की सूची मासिक रूप से सम्बन्धित जिला औषधि भंडार से प्राप्त करने एवं चिकित्सा संस्थान के सब स्टोर पर आदर्श भण्डार मात्रा बनाये रखने के सम्बन्ध मे।**

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा दवाईयां क्रय कर जिला औषधि भंडार को उपलब्ध करवाई जाती है। चूंकि कुछ दवाईयां निविदा/आर.सी. इत्यादि प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण निगम द्वारा तुरन्त उपलब्ध नही कराई जा सकती है। अतः ऐसी दवाईयों को स्थानीय क्रय बजट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर क्रय कर रोगियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिससे राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराई जा सके।

इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसी दवाईयां जिन्हे मुख्यालय द्वारा जिला औषधि भंडार को उपलब्ध करवाने में समय लगने की सम्भावना हो, उनकी सूची प्रत्येक माह जिला औषधि भंडार से आवश्यक रूप से प्राप्त करें। जिससे ऐसी दवाईयों को आवश्यक समय के लिए स्थानीय बजट से क्रय किया जाकर मरीजों को उपलब्ध करवाया जा सके। स्थानीय क्रय बजट कम होने या नहीं होने की स्थिति में नोडल अधिकारी, एमएनडीवाई, निदेशालय जयपुर से nomndy@gmail.com पर सम्पर्क कर सकतें है।

प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ संस्थान द्वारा अपने सब स्टोर में आदर्श भण्डार मात्रा (Optimum Stock level) को संधारित (maintain) नहीं किया जा रहा है। जब दवा की मात्रा शून्य हो जाती है उसके बाद उसका इन्डेन्ट किया जाता है, जबकि नियमानुसार सब स्टोर पर कम से कम 3 माह की उपयोग के बराबर **आदर्श भण्डार मात्रा** निधारित की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि नियमित समय सारिणी के अनुसार जो भी संस्थान दवा प्राप्त करने के लिए जिला औषधि भंडार आते है या जिला औषधि भंडार द्वारा निश्चित रूट चार्ट के अनुसार सप्लाई प्रारम्भ की जाती है उससे पूर्व सम्बन्धित संस्थानों द्वारा उन सभी दवाईयों का भी इन्डेन्ट समय रहते भेजा जाये जिनकी मात्रा आदर्श भण्डार मात्रा से कम रह गई है। ताकि स्टॉक आउट की स्थिति नहीं बने और संस्थानों पर आवश्यक समस्त दवाओं की उपलब्धता बनी रहे।

(नवीन जैन)
विशिष्ट सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
मिशन निदेशक, एनएचएम एवं प्रबन्ध निदेशक आरएमएससी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक जन स्वास्थ्य, निदेशालय जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निदेशालय, जयपुर।
3. जिला औषधि भण्डार समस्त।